न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 15/2021

अनवान : –

1. श्रीमति विमला देवी पुत्री स्व. हरचन्द उर्फ चन्दु पत्नी रामेश्वर जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।

– सायला

बनाम्

1. श्रीमति सीमा देवी पुत्री हरचन्द पत्नी बलवीर जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
2. विकाश उर्फ सोनू पुत्र बलवीर जाति मेघवाल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मु0 सीमादेवी पुत्री हरचन्द पत्नी बलवीर जाति मेघवाल निवासी किशनपुरा तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा।
3. सुमन पुत्री हरचन्द पत्नी प्रताप जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
4. कृष्णा देवी पुत्री हरचन्द पत्नी सहीराम जाति मेघवाल निवासी चक सरदारपुरा तहसील नोहर।
5. ममता पत्नी रोहिताश जाति मेघवाल निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।
8. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायला**
श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः 18/9/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 680/668 की कुल 22.6620है0 भूमि हिन्दु खानदान की जददी जायदाद है। उक्त वाद भूमि को गैरसायल स0 1 व माता खिवणी ने अपने नाम अनुचित तरीके से दर्ज करवाली है। रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 261/251 की कुल 22.6620 हैक्ट भूमि में हरचन्द का 5.6654 हैक्ट भूमि अपने अकेले के नाम कर्ता हिन्दु खानदान होने से दर्ज करवा ली तथा खाता संख्या 680/668 की कुल 0.0500 हैक्ट भूमि में से 1/8 हिस्सा अर्थात 0.0625 हैक्ट भूमि हरचन्द अकेले ने अपने नाम दर्ज करवा ली। उक्त वाद भूमि में सायला का 1/4 हिस्सा व गैरसायल स0 1, 3, 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:49:06 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल स0 1 ने सायला की माता [illegible] वणी को अपने पक्ष में कर पैतृक भूमि का तथाकथित वसीयतनामा अपने [illegible] खिवणी के फौत होने के बाद तथाकथित दस्तावेजों के आधार पर रोही मौजा नन[illegible] तहसील नोहर के [illegible]स0 261/251

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

की 5.6654 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 5 के नाम दर्ज करवा दी। जबकि उक्त दस्तावेज एवं पश्चातवर्ती इन्द्राजात शुरू से ही शुन्य दस्तावेज है।

गैरसायल स0 5 वाद भूमि अपने नाम दर्ज रहने का अनुचित फायदा उठाकर अन्यत्र रहन, बैय करने पर आमाद है। अगर गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें की अप्रार्थीगण रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 261/251 की कुल 22.6620 हैक्ट भूमि में से 5.6654 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 680/668 के खन0न0 766/7 की 0.0500 हैक्ट भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहें एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 261/251 की कुल 22.6620 हैक्ट भूमि में से 5.6654 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा ननाउ तहसील नोहर के खाता स0 680/668 के खन0न0 766/7 की 0.0500 हैक्ट भूमि जो की अप्रार्थीगण संख्या 5 के नाम दर्ज है, में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

अप्रार्थी स0 1, 2, 4 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही न ही उनकी और से कोई प्लीडर उपस्थित हुआ अतः प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी स0 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल ने इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया अप्रार्थी स0 5 की तरफ से अधिवक्ता श्री रविन्द्र कुमार गोदारा ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की बैयनामा के पश्चात से ही उक्त वाद भूमि अप्रार्थी स0 5 के कब्जा व काश्त में है। अप्रार्थी स0 5 रिकार्डेड खातेदार है एवं रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती है। उक्त भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 13.10.2011 को अप्रार्थी स0 5 के द्वारा खरीद की गई है। उक्त भूमि वसीयत से प्राप्त हुई है। उक्त वसीयत बाबत एक वाद माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2 नोहर में चला जिसे सायल स्वयं ने पेश किया था जिसका निस्तारण दिनांक 07.03.2019 को ही चुका है एवं माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। उक्त वाद भूमि बाबत एक वाद पहले ही दिनांक 07.03.2019 को निस्तारित हो चुका है। उक्त अस्थाई स्थगन न्यायालय को गुमराह कर प्राप्त किया गया है जो विधि विरूद्ध व काबिले खारिजी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायला खारिज फरमावे।।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी अपने तर्क की पुष्टि में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 2002 पेज न0 744, आर0बी0जे0 2010 पेज न0 178, आर0बी0जे0 2012 पेज न0 26, आर0बी0जे0 2009 पेज न0 78 पेश कियें जिनका हमने ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शी सिद्धान्त के रूप में उपयोग में लिया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र व दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि वाद भूमि में प्रार्थी हक हिस्सा पाने का अधिकारी है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:49:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि अप्रार्थी स0 5 के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी ने कथन किया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसे अप्रार्थी स0 1 व मात खिवणी ने अपने नाम करवा ली । खिवणी की मृत्यु के बाद अप्रार्थी स0 1 ने उक्त वाद भूमि मुताबिक वसीयतनामा गैरसायल स0 5 के नाम वाद भूमि दर्ज करवा दी जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत चित्रप्रति माननीय अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय से स्पष्ट है उक्त वाद भूमि बाबत एक प्रकरण प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय में दर्ज करवाया गया था जिसको दिनांक 07.03.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 13.10.2011 से स्पष्ट प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि की अप्रार्थी स0 5 रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि दिनांक 13.10.2011 को विक्रेता खातेदार सीमा पुत्री हरचन्द से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिफल देकर खरीदी थी। वादी द्वारा नोटेरी द्वारा तस्दीक वसीयत की चित्रप्रति प्रस्तुत की गई है जिसके मुताबिक अप्रार्थी स0 1 ने उक्त वाद भूमि मुताबिक वसीयतनामा गैरसायल स0 5 के नाम वाद भूमि दर्ज करवा दी तथा रजिस्टर्ड बैयनामा की चित्रप्रति के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि अप्रार्थी स0 5 ने अप्रार्थी संख्या 1 से जरिये बैयनामा खरीद की है। उक्त दस्तावेजों के खंडन के संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नही किया गया है। वैसे भी विवादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वसीयत एवं रजिस्टर्ड बैयानामा आज दिनांक तक प्रभावी है। हरचन्द द्वारा अपनी पुत्री सीमा के पक्ष में दिनांक 06.06.2005 को की गई वसीयत एवं दिनांक 13.10.2011 रजिस्टर्ड बैयनामा दोनों तथ्य गैरसायलान के पक्ष में साबित होने के कारण प्रथम दृष्टया मामला गैरसायलान के पक्ष में बनता है। प्रथम दृष्टया मामला गैरसायलान के पक्ष में बनने के कारण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति भी गैरसायलान के पक्ष में साबित होता है। इसलिए गैरसायलान को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 18/9/23 ....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:49:06 IST
Reason: SelfAttested